

  
भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 610]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 5, 2015/आश्विन 13, 1937

No. 610]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 5, 2015/ASVINA 13, 1937

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2015

**सा.का.नि. 755(अ).**—केन्द्रीय सरकार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एतद्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः:-

1. (1) इन नियमों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियम, 2015 कहा जाएगा।  
(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
2. उक्त नियमों में, शिक्षकों से संबंधित भाग VI में, नियम 21 के बाद, निम्नलिखित नियमों को जोड़ा जाएगा, नामतः :-  
“21 क. शिक्षकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र -  
(1) स्कूल स्तरीय शिकायत निवारण समिति:  
(क) स्कूल प्रबंधन समिति (अब आगे एसएमसी के रूप में संदर्भित) स्कूल स्तर पर शिकायत निवारण का पहला स्तर होगी। समुचित सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन स्थापित किसी स्कूल का कोई भी शिक्षक अपनी शिकायत एसएमसी के संयोजक या सदस्य सचिव को लिखित में प्रस्तुत कर सकता है।  
(ख) एसएमसी शिकायत की प्रथम दृष्ट्या जांच करेगी और शिक्षक से लिखित रूप में प्राप्त प्रतिवेदन की तारीख से 15 दिन के भीतर शिकायत का निवारण करेगी।

- (ग) एसएमसी के संयोजक या सदस्य सचिव से कोई उत्तर प्राप्त न होने या असंतोषजनक उत्तर प्राप्त होने की स्थिति में शिक्षक अपना मामला ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (2) ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति:
- (क) समुचित सरकार द्वारा स्थापित अथवा नियंत्रित स्कूलों में शिक्षकों की शिकायतों के निवारण हेतु एक ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति होगी जिसमें खंड विकास अधिकारी अध्यक्ष के रूप में और खंड शिक्षा अधिकारी संयोजक या सदस्य सचिव के रूप में शामिल होंगे।
- (ख) यह समिति शिकायतों का निवारण तीस दिन के भीतर करेगी।
- (ग) समिति की ओर से प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में, शिक्षक जिला-स्तरीय शिकायत निवारण समिति के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (घ) संघ राज्य क्षेत्रों में, जहां, ब्लॉक स्तर नहीं है, वहां पर तालुका या पंचायत या वार्ड या आइलैण्ड स्तर जैसे विकल्पों पर विचार किया जा सकता है।
- (ङ) ब्लॉक स्तर समिति की बैठक आवश्यकतानुसार, परंतु, प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की जाएगी।
- (3) जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति:
- (क) शिक्षकों के लिए एक जिला-स्तरीय शिकायत निवारण समिति होगी, जिसमें, अध्यक्ष के रूप में जिलाधीश, जिला परिषद या नगर-परिषद के वरिष्ठ प्रतिनिधि और जिला शिक्षा अधिकारी शामिल होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी, समिति का संयोजक या सदस्य सचिव होगा।
- (ख) जिला-स्तरीय समिति तीन माह की अवधि के भीतर शिकायतों का निवारण करेगी।
- (ग) यदि शिक्षक जिला-स्तरीय शिकायत निवारण समिति की सिफारिशों से संतुष्ट नहीं है, तो, वह राज्य-स्तरीय शिकायत निवारण समिति को अपनी अपील कर सकता है।
- (घ) जिला-स्तरीय समिति की बैठक आवश्यकतानुसार, परंतु प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की जाएगी।
- (4) राज्य-स्तरीय शिकायत निवारण समिति:
- (क) निदेशक (प्रारंभिक शिक्षा) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी, और इस समिति में समुचित सरकार के शिक्षा सचिव द्वारा नामित दो सदस्य शामिल होंगे। राज्य-स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक का आयोजन आवश्यकतानुसार, परंतु, प्रत्येक छमाही में कम से कम एक बार अवश्य किया जाएगा;
- (ख) समिति, समुचित जांच-पड़ताल, जैसी भी वह उचित समझे, के पश्चात् नब्बे दिनों की अवधि के भीतर शिकायतों का निवारण करेगी।
- (5) समिति सेवा संबंधी मामले, निलंबन-आदेश और शिक्षा विभाग या स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रारंभ की गई अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं के अंतर्गत शास्तियों के मामलों पर विचार नहीं करेगी।
- (6) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कार्य-स्थल पर महिलाओं के यौन-उत्पीड़न की रोकथाम पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन में महिला शिक्षकों के उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को वरीयता प्रदान की जाएगी और उनका निवारण अविलंब किया जाएगा।

- (7) धारा 2 के उप-खण्ड (iii) और खण्ड (ढ) के उप-खण्ड (iv) में संदर्भित स्कूल प्रबंधन शिक्षकों की शिकायतों के निवारण के लिए पर्याप्त प्रक्रिया तंत्र उपलब्ध कराएगा।

[फा.सं. 1-10/2013-ईई.4]

रीना रे, अपर सचिव

**टिप्पणी:** दिनांक 1 अप्रैल, 2010 की संख्या जीएसआर 301(अ) के माध्यम से दिनांक 8 अप्रैल, 2010 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (1) में प्रमुख नियम प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2015

**G.S.R. 755(E).**—In exercise of the power conferred by section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), the Central Government hereby makes the following amendments in the Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2010, namely:-

**1.** (1) These rules may be called the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

**2.** In the said rules, in Part VI relating to Teachers, after rule 21, the following rules shall be inserted, namely:-

“21A. Grievance redressal mechanism for teachers-

(1) School Level Grievance Redressal Committee:

(a) The School Management Committee (hereinafter referred to as the SMC) shall be the first level of grievance redressal at School level. Any teacher of a school established, owned or controlled by the appropriate Government may submit his or her grievance in writing to the Convener or Member Secretary of the SMC.

(b) The SMC shall examine the grievance in the first instance and redress within fifteen days from the date of receipt of written representation from the teacher.

(c) In case of non-receipt of response or unsatisfactory response from the Convener or Member Secretary of the SMC, the teacher shall be free to represent his or her case to the Block Level Grievance Redressal Committee.

(2) Block Level Grievance Redressal Committee:

(a) For redressal of the grievances of teachers in the schools established or controlled by the appropriate Government, there shall be a Block Level Grievance Redressal Committee consisting of Block Development Officer as Chairperson and Block Education Officer as Convener or Member Secretary.

(b) The committee shall redress the grievances within thirty days.

(c) If in case of non receipt of response from the Committee the teacher shall be free to represent his or her case to the District Level Grievance Redressal Committee.

(d) In Union Territories, where there is no block level, other options may be considered such as Taluka or Panchayat or Ward or Island level.

(e) The Block Level Committee shall meet as per the requirement but at least once in every three months.

(3) District Level Grievance Redressal Committee:

(a) There shall be a District Level Grievance Redressal Committee for teachers consisting of the District Collector as Chairman, senior representatives from the Zilla Parishad or Municipal Council and District Education Officer. The District Education officer shall be the Convener or Member Secretary of the Committee.

(b) The District level committee shall redress the grievances within a period of three months.

(c) In case the teacher is not satisfied with the recommendations of the District Level Grievance Redressal Committee, he/she may prefer an appeal to the State Level Grievance Redressal Committee.

(d) The District Level Committee shall meet as per the requirement but at least once in every three months.

(4) State Level Grievance Redressal Committee:

(a) A Committee shall be constituted under the chairmanship of Director (Elementary Education) and consisting of two members as may be nominated by Secretary, Education of the appropriate Government. The State Level Grievance Redressal Committee shall meet as per the requirement but at least once in every six months;

(b) The committee, shall after enquiry, as it deems fit, redress the grievance within a period of ninety days.

(5) No service matters, orders of suspension from service and penalties under disciplinary proceedings initiated by the education department or the school management shall be taken up by the Committee.

(6) Complaints relating to harassment of women teachers shall be accorded priority and shall be redressed without delay in compliance with the guidelines issued by the Supreme Court on prevention of sexual harassments at the work place.

(7) Management of schools referred to under sub-clause (iii) and sub-clause (iv) of clause (n) of section 2 shall provide adequate mechanism for redressal of grievances of teachers.”

[F.No.1-10/2013-EE.4]

RINA RAY, Addl. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 8th April, 2010 *vide* number GSR 301(E) dated the 9th April, 2010